सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना

राज्य सरकार द्वारा **सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना** के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अन्त्योदय अन्न योजना के लाभान्वित परिवारों को 6 माह के अन्तराल पर एक वर्ष में दो बार एक धोती/लुंगी ₹10/- प्रति धोती/लुंगी प्रति परिवार एवं एक साड़ी ₹10/- प्रति साड़ी प्रति परिवार अनुदानित दर पर वितरण की जाएगी

53 लाख से अधिक लाभुकों को साल में दो बार मिल रहा लाभ

लाभुकों के लिए योग्यता

- लाभुकों के लिए राशन कार्डधारी होना जरुरी है।
- योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों को राशन कार्ड के साथ-साथ सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/मुखिया/ वार्ड पार्षद द्वारा अनुशंसित) दिखाना अनिवार्य

यहां मिलेगा लाभ

अपने गांव/पंचायत स्थित जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान में

विशेषता

- प्रति वर्ष 53 लाख राशन कार्डधारियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य
- धोती/लुंगी तथा साड़ी का वितरण राज्य की जन वितरण प्रणाली (PDS) व्यवस्था के अन्तर्गत संधारित ई-पॉस मशीन/अपवाद पंजी का इस्तेमाल करते हुए किया जा रहा है
- निर्धारित तिथि पर सभी जनवितरण प्रणाली दुकानदार वितरण सुनिश्चित कर रहें हैं
- जिन वितरण स्थलों पर नेटवर्क की स्थिति कमजोर हो वैसे स्थलों पर ऑफलाईन ई-पॉस मशीनों के माध्यम से वस्त्रों का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा

₹10 में एक धोती/लुंगी और ₹10 में एक साड़ी

साल में मिलेगा दो बार

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार